B.A. History Hon's Part: II

Paper: III, Unit: IV (a), Date: 30. 9. 2020 Lecture No.: 33

Lession: ~~इक्तादारी~~ सल्तनतकालीन प्रांतीय शासन

इक्तादारी प्रथा: इस दिशा में पहला कदम इल्तुतमिश ने कदम उठाया जब उसने इक्ता प्रथा दिल्ली में लागू की। उसने राज्य को अनेक छोटे बड़े टुकड़ों में विभक्त कर दिया उसे इक्ता प्रथा कहते हैं। इसमें सैनिक अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था जिसे इक्ता प्रणाली कहलाते थे। इक्तादार अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाये रखने, लगान की वसूल करने और सैनिक सेवा प्रदान करने का उत्तरदायित्व था। बड़े क्षेत्रों अथवा प्रांतों के इक्ताप्रथा 'वली' कहलाते थे। ये अपनी सेना बहाल करते थे और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को मदद पहुँचाते थे। कृषि के विस्तार, प्रजा की सुविधाएँ और राहत प्रदान करने का श्रेय इन्हीं को था। समय-समय पर सुल्तान द्वारा विभिन्न कार्य सौंपे जाते थे। इन सबके बदले में इक्तादार को अपने क्षेत्र में लगान वसूलने और धन-राशि को वेतन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार था। यदि लगान की आमदनी वेतन की राशि से अधिक होती तो धन-राशि सरकारी खजाने में जमा करना भी इक्तादार का दायित्व था। इक्तादार का अपने इक्ता की भूमि पर स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं था। इक्ता का अनुदान वंशानुगत रूप से भी नहीं होता था और इक्तादारों को नियमित रूप से स्थानान्तरण किया जाता था।

प्रांतीय शासन: खिलजी एवं तुगलक काल तक दिल्ली सल्तनत ने एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था और प्रांतीय शासन व्यवस्था भी पहले की तुलना में अधिक विकासशील हो गया था। मोहम्मद बिन-तुगलक के समय में सल्तनत में आये अफ्रीकी यात्री, इब्नबतूता ने तुगलक कालीन प्रान्तीय शासन का साम्राज्य 23 प्रान्तों में विभक्त था। प्रान्तीय शासक अथवा वली, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य संचालन तीनों का प्रधान होता था। उनकी नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती थी। उनकी मदद के लिए अधीनस्थ अधिकारी थे। वित्तीय विभाग की देख-रेख के लिए प्रांतीय आरिज होते थे। उसे सहायता प्रदान करने के लिए मुतसर्रिफ और कारकुन नामक अधिकारी होते थे। प्रान्तीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण अधिकारी काजी था जो दीवानी संबंधी मुकदमों का फैसला करता था। फौजदारी मुकदमा वली द्वारा और दीवानी मुकदमे काजी द्वारा देखे जाते थे। प्रान्तीय शासन व्यवस्था में एकरूपता नहीं थी। भौगोलिक कारणों से प्रांतों के शासकों पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण बनाये रखना काफी मुश्किल था। मोहम्मद-बिन-तुगलक के शासनकाल में दूरस्थ प्रान्तों के अधिकारियों ने स्वतंत्र राज्यों का निर्माण करने में सफलता भी प्राप्त किया। प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रान्तों को जिलों अथवा शिक में विभाजित तुगलक काल में देखी जा सकती है। शिक के प्रशासक को शिकदार कहते थे। शिक के अधीन परगने थे जो कई गाँवों पर आधारित थी। परगाना के स्तर पर आमिल नामक अधिकारी लगान की वसूली का काम देखते थे। इब्नबतूता द्वारा सौ गाँवों के समूह को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में विभाजित किया जाता है उसे "सदी" कहते थे।

तुगलक साम्राज्य का विघटन के पश्चात् दिल्ली सल्तनत एक छोटे से राज्य के रूप में रह गयी थी। यद्यपि लोदी वंश के शासकों ने इनके क्षेत्रों को विस्तार किया लेकिन प्रांतीय शासन प्रणाली का विकसित रूप उनके समय में संभव नहीं हुआ।

राज्य का स्वरूप: दिल्ली सल्तनत के स्वरूप पर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। उसे धर्म-प्रधान, धर्म-केन्द्रित राज्य, सैनिक राज्य

कल्याणकारी राज्य, कुलीनतंत्र आदि पृथक-पृथक नाम दिये गये हैं। परन्तु इनमें कोई एक विचार भी पूर्णतः मान्य नहीं है, क्योंकि यह पृथक-पृथक विशेषताएँ सल्तनत के अलग-अलग शासकों के अधीन परिस्थितियों का उल्लेख करती हैं। इनमें सर्वाधिक मान्य मत यह है कि दिल्ली सल्तनत के केन्द्रीकृत राजतंत्र थे। जिसमें सैनिक वर्ग ही प्रशासक वर्ग का मुख्य अंग था। सल्तनत के शासकों ने राज्य का यही रूप अन्त तक कायम रखा। इसमें आमूल्य परिवर्तन मुगल साम्राज्य की संस्थापना के बाद ही संभव हो सका।

□ डॉ० शंकर जय किशन चौधरी
अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग
डी० बी० कॉलेज, जयनगर